

Approved by Ex. UGC  
Journal No. : 63580  
Regd. No. 21747

Indexed : IJIF, I2OR & SJIF  
I2OR Impact Factor : 7.465

ISSN 2277-2014

# Research Discourse

*An International Peer-reviewed Refereed Research Journal*

Vol. XIII

No. II

April-June 2023



**Editor**

***Dr. Anish Kumar Verma***

**Associate Editors**

**Dr. Rakesh Kumar Maurya**

**Dr. Dinesh Kumar**

**Dr. Romee Maurya**



Approved by Ex. UGC  
Journal No. : 63580  
Regd. No. 21747

Indexed by : IJIF, I2OR, SJIF  
I2OR Impact Factor : 7.465  
ISSN 2277-2014

# Research Discourse

*An International Peer-reviewed Refereed Research Journal*

Vol.XIII

No.II

APRIL- JUNE 2023



**Editor in Chief**  
*Dr. Anish Kumar Verma*

**Associate Editors**  
*Dr. Rakesh Kumar Maurya*

*Dr. Dinesh Kumar*  
*Dr. Romee Maurya*

**Published by :**  
**South Asia Research & Development Institute**  
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)  
Website : [www.researchdiscourse.org](http://www.researchdiscourse.org)  
E-mail : [researchdiscourse2012@gmail.com](mailto:researchdiscourse2012@gmail.com)  
Mobile : 09453025847, 8840080928



## भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो०(डॉ०) महालक्ष्मी जौहरी\*

\*समाजशास्त्र विभाग, पी०के० विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म०प्र०

अजय कुमार विक्रम\*\*

\*\*शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, पी०के० विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म०प्र०

सारांश : विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति चिन्ता बढ़ी है। भारत में गुलामी की अवधि में सामाजिक स्थितियाँ क्रमशः बिगड़ती गयीं और परतन्त्रता की मानसिकता ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों को इस प्रकार चरितार्थ किया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचारे, आज मिलकर ये समस्याएँ सभी" आजादी के बाद 73 वर्षों की विकास यात्रा में देश में महिलायें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन का अंश नगण्य ही हैं। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के ही समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थितियों को रूपान्तरित करने और सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिए कई कल्याणकारी मान्यताएँ दी हैं। लेकिन उनकी विकास की स्थिति और दशा आज भी चिन्तनीय है।

**मुख्य शब्द** : भारतीय समाज, सामाजिक मान्यताएँ, मूल्य, सामाजिक स्थिति, शिक्षा आदि।

**प्रस्तावना** : किसी भी सम्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी की शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु, और भोजन है। स्त्रियाँ ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियाँ ही उपेक्षित हो रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है। इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिये जाने के बाद इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सदप्रयासों से भी संभव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा एवं तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। समाज में महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी नियोग्यताओं लाद दी गई हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये नियोग्यताओं उनके लिए बहुत बड़ा चुनौतियाँ एवं समस्याएँ बनकर उभरी हैं। इन नियोग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलाएँ न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थीं और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थीं और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़-लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए मूलरूप से ही पुरानी सामाजिक परम्पराएँ, मूल्य तथा रीति-रिवाज जिम्मेदार थे जो इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948)के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं- "शिक्षित स्त्री के बिना पुरुष शिक्षित हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वयंमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।"

सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। उपरोक्त विवेचन से महिलायें के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुए भी उपेक्षित है इसलिए महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई हैं। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है। स्वामी विवेकानन्द के कथन के अनुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनते। इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच-नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं। अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं, यदि माता अपने बच्चों में धर्म-भेद या जाति भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास



पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुशी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे जिन्होंने अपने विद्वता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति भी उनकी विद्या थी, लेकिन बाद के कालों में उनसे यह शक्ति छीनी जाने लगी उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनति का कारण बना। देखा जाए तो वो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई हैं। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुए, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया। बाल विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई। पुरुष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा-प्रथा, सती प्रथा, नियोग-प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार "शिक्षा" उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जो कि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है, वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

**साहित्य अवलोकन :** अनेक समाजशास्त्रियों जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुनवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरुषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकारकर अर्जित परिस्थिति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना के संदर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ शोध आलेख से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है जिसमें इनके अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**मीनाक्षी मुखर्जी(1988)** का मत है कि पुरुषों से स्वतंत्र स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली सस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अनादर रूप में व्यवहार किया जाता है।

**मार्ग्रेट कारमैक (1779)** ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता-पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती थी।

**गोविन्द केलकर (1981)** ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन-भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भोजन न परोसना या कभी-कभी परिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिए उनकी पिटाई भी होती है। कॉपर न कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रमुता, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किये गये हैं किन्तु भारतवर्ष में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्रावधान से अनभिज्ञ रह गया है। फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

**मिश्र (1981)** ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएँ समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभवन नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरुषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है। आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरुष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त, ये और कुछ नहीं है, और पुरुषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई है। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

**गोस्वामी तुलसीदास** ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति, साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती हैं। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती हैं तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती हैं।

**भारतीय महिलाओं की भूमिका के विभिन्न स्वरूप :** विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां होती हैं। उदाहरण के लिए बेटा, पत्नी, बहु, माँ, इत्यादि। इन परिस्थितियों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समर्पण की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव पाया गया है परन्तु यह परिस्थिति व बदलाव आते गये। वैसे-वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये। जब व्यक्ति की भूमिकाएँ अनेक हो जाती हैं तो उन पाता। जिन महिलाओं को घर के भीतर और बाहर रहना पड़ता है अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण पालन नहीं कर पाती है। ग्रामीण के पिता उन मांगों को पूरा करने में अस्मर्थ होते हैं। वैवाहिक समस्या एक ज्वलंत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका जंजीरों में जकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उसको कुचलने, मसलने और उसके उपभोग से भिन्न-भिन्न अस्तित्व को स्वीकारने के संदर्भ में पुरुषों को सदैव दोहरा मानदंड रहा है।



सन्दर्भ :

1. मुखर्जी, मीनाक्षी, 1884, रियलिटी एण्ड रिथलिज्म इंडियन वूमन ऐज प्रोटोगनिस्ट्स इन फोर नाइटीय सेंचुरी नॉवेल्स, इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
2. आहूजा, राम, 2002, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. केलकर, गोविन्द, 1881, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आन वीमेन्स वर्क पार्टीसिपेशन एण्ड सैक्स, सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली.
4. कृष्णराज, मैत्रेयी, 1971, रिपोर्ट आन वर्किंग वीमेन साइंटिस्ट्स इन बाम्बे, एस0एन0डी0टी0वीमेन यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिट आन वीमने स्टडीज, बम्बई
5. माथुर, दीपा, 1992, वूमन, फॅमिली एण्ड वर्क, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
6. श्रीवास्तव, सुधीर, 1985, वूमन, इमपावरमेंट, टाटा मैग्रीहिल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. व्यास, मीनाक्षी, 2002, मिडिल एण्ड लोअर क्लास वर्किंग वूमन, सौम्या पब्लिकेशन, मुम्बई
8. सिंह, सोरन, 1997, सिडियूल कास्ट इन इण्डिया एण्ड डायमैन्शन ऑफ सोशल चेंज, ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
9. कुमार, नृपेन्द्र, 1982, पार्टीसिपेशन ऑफ वूमन इन सोसाइटी, एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई
10. कपूर, प्रतिमा, 1986, द स्टडी आफ एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग वूमन इन इंडिया, आगरा पब्लिकेशन
11. अलटेकर, ए0एल0, द पोजिशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी